न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक आर0एन0 12–5/आर/1171/1995 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–10–1995 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 83/1994–95/विविध.

रामदास आत्मज बिहारीदास
निवासी ग्राम कमठाना तहसील खाचरोद
जिला उज्जैन

------आवेदक

विरूद्ध

1. दिनेश आत्मज गोविन्दराम जी कुलमी
2. नानूराम आत्मज जगन्नाथ जी पाटीदार
3. नन्दराम आत्मज भागीरथ जी
4. शंकर आत्मज भागीरथ जी
   सभी निवासीगण ग्राम कमठाना तहसील
   खाचरोद जिला उज्जैन
5. मध्यप्रदेश शासन

------अनावेदकगण

– – – – – – –

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कं 5

– – – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 01 दिसम्बर 2015)

– – – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 10–10–1995 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि उभय पक्ष के मध्य तहसील न्यायालय में रास्ते संबंधी विवादत के प्रचलित रहते अनावेदक कमांक 1 ने प्रकरण को अंतरित किये जाने हेतु अपर आयुक्त न्यायालय में संहिता की धारा 29 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। अपर आयुक्त ने दिनांक 18–9–1995 को प्रकरण दर्ज कर आवेदकगण को नोटिस जारी किया गया एवं स्थगन आदेश भी जारी करने के आदेश दिये। अनावेदक कमांक 2 के शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण लिया जाकर दिनांक 10–10–1995 को आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के तर्क सुनकर अपर आयुक्त ने नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही के विरूद्ध आवेदक द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद माना फिर भी दोनों पक्ष प्रकरण का शीघ्र निराकरण चाहते है। इसलिये नायब तहसीलदार के न्यायालय से प्रकरण तहसीलदार खाचरौद के न्यायालय में अंतरित करने के आदेश दिये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि आवेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार था परन्तु उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपर आयुक्त ने प्रकरण को अन्य न्यायालय में अंतरित करने के आदेश देने में वैधानिक त्रुटि की है। यह भी तर्क किया कि विवादित आदेश अनावेदकगण ने आपस में मिलजुलकर करा लिया है जबकि विधि का यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि किसी पक्षकार के विरूद्ध कोई भी न्यायालय अथवा अर्द्धन्यायालीन आदेश पारित करने के पूर्व उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के पालन में सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक ने तर्क किया कि प्रकरण में अपर आयुक्त ने दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुनकर आदेश पारित

किया है। यह भी तर्क किया कि चूंकि दोनों ही पक्ष प्रकरण का शीघ्र निराकरण चाह रहे थे इसलिए अपर आयुक्त ने प्रकरण को नायब तहसीलदार के स्थान पर सुनवाई हेतु तहसीलदार को अंतरित करने का आदेश दिया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक 1 दिनेश आत्मज गोविन्दराम द्वारा नानूराम, रामदास नन्दराम शंकर एवं शासन को पक्षकार बनाकर संहिता धारा 29 के अन्तर्गत प्रकरण अंतरण हेतु आवेदन अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर आयुक्त ने दिनांक 18–9–1995 को प्रकरण दर्ज कर अनावेदकगण को नोटिस जारी किया एवं स्थगन आदेश भी जारी कर पेशी दिनांक 25–11–1995 नियत की। दिनांक 26–9–1995 को अनावेदक नानूराम अपने अभिभाषक के साथ उपस्थित हुये और प्रकरण शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया जिसपर अपर आयुक्त ने पेशी दिनांक 10–10–1995 नियत की गई। अनावेदक दिनेश (अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक) एवं अनावेदक कमांक 2 नानूराम के तर्क सुनकर अपर आयुक्त द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये कि दोनों ही पक्ष प्रकरण का शीघ्र निराकरण चाहते हैं इसलिए प्रकरण को नायब तहसीलदार के स्थान पर तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण अंतरिम करने के आदेश दिये। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क उचित है कि अपर आयुक्त को प्रकरण में मौजूद सभी पक्षों को सुनकर प्रकरण में आदेश पारित करना चाहिए था फिर भी अपर आयुक्त द्वारा नायब तहसीलदार न्यायालय से तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण अन्तरित करने के आदेश से आवेदक के हित किस प्रकार प्रभावित हुये, यह बतलाने में असमर्थ रहे। अपर आयुक्त ने मात्र प्रकरण को अंतरित करने के आदेश

दिये किसी प्रकार के गुण—दोष पर निराकरण नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त के विचाराधीन आदेश पारित किये हुये तथा उसके विरूद्ध निगरानी प्रचलित रहते हुए लगभग 20 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। प्रकरण अन्तरित होने के पश्चात सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रकरण में क्या आदेश पारित किया तथा उस आदेश से आवेदक के हितों पर किस प्रकार का असर हुआ, इस बात की जानकारी भी आवेदक अभिभाषक बताने में असमर्थ रहे। दर्शित परिस्थितियों में अब अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में प्रकट नहीं होता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन का आदेश दिनांक 10—10—1995 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर